(राजस्थान सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 96/2023

बउनवान

पन्नालाल पुत्र सुखलाल मीना निवासी सारंगखेड़ा तहसील छीपाबडौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :— 1. श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 12.12.2023

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 293/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम सारंगखेड़ा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 मे खसरा नम्बर 29 की रकबा 02 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 100/— रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 16.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:39:21 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने ब[illegible]त किया कि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट ने सरकारी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने मे कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया ही काबिल खारजी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे अर्थदण्ड जुर्माना जमा करा दिया है तथा अपीलांट को अब कोई सरकारी भूमि या पठार भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2022 बाबत 01 माह की सजा एवं जुर्माना निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा किया जाकर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2078 में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 124/21 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद में उपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 293/2022 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2023** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:39:21 IST
Reason: SelfAttested